

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं. ईसीआई/B/10/2025

12.08.2025

बिहार एसआईआर 2025 : दैनिक बुलेटिन

1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 12 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक

A. प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने और हटाने के लिए प्राप्त दावे एवं आपत्तियाँ				
क्र. सं.	राजनीतिक दल (नाम)	BLAs की संख्या	अब तक प्राप्त	7 दिनों के पश्चात निस्तारण
<b>राष्ट्रीय पार्टियाँ</b>				
1	आम आदमी पार्टी	1	0	0
2	बहुजन समाज पार्टी	74	0	0
3	भारतीय जनता पार्टी	53,338	0	0
4	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	899	0	0
5	इंडियन नेशनल कॉग्रेस	17,549	0	0
6	नेशनल पीपुल्स पार्टी	7	0	0
<b>राज्य पार्टियाँ</b>				
1	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	1,496	0	0
2	जनता दल (यूनायटेड)	36,550	0	0
3	लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	1,210	0	0
4	राष्ट्रीय जनता दल	47,506	0	0
5	राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी	1,913	0	0
6	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	270	0	0
	<b>कुल</b>	<b>1,60,813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में निर्वाचकों से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियाँ			
योग्य मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को हटाना		अब तक प्राप्त	7 दिनों के पश्चात निस्तारण
		<b>13,970</b>	<b>341</b>

C 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से प्राप्त फॉर्म (बीएलए से प्राप्त छह प्रपत्रों सहित)			
फॉर्म 6 + घोषणा पत्र		अब तक प्राप्त	7 दिनों के पश्चात निस्तारण
		<b>63,591</b>	<b>0</b>

- नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ERO/AERO द्वारा 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद पात्रता दस्तावेजों की जांच के बाद किया जाना है।
- एसआईआर आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी भी नाम को ERO/AERO द्वारा जांच-पड़ताल कर उचित और निष्पक्ष अवसर प्रदान करने के बाद स्पीकिंग आदेश पारित किए बिना हटाया नहीं जा सकता।

ह/-

अपूर्व कुमार सिंह  
सहायक निदेशक